v/;k; & N%

LFkk;hdj.k ds izdj.k

स्थायीकरण के प्रकरणों में विभागीय कार्यवाहियाँ त्वरित गति से व नियमित रूप से हो सकें इस हेतु आयोग ने यह निर्णय लिया कि इन बैठकों में आयोग का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तथा बैठक का कार्यवाही विवरण केवल आयोग के सूचनार्थ भेजा जाएगा । प्रक्रिया में इस संशोधन के बाद विभागों से अब केवल वे ही प्रकरण प्राप्त होते हैं जिनमें किसी अधिकारी को विभाग ने स्थायीकरण के योग्य नहीं पाया है ।

2/ प्रतिवेदनाधीन वर्ष में स्थाईकरण से संबंधित 03 प्रकरण आयोग के अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए थे, जिनके कार्यवाही विवरण में आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया है । ।